प्रेस विज्ञप्ति
01/08/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत यूनिटेक लिमिटेड और अन्य के मामले में 31/07/2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसके तहत यूएफएलईएक्स ग्रुप (यूएफएलईएक्स लिमिटेड और अंशिका इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड) से संबंधित 25 करोड़ रुपये मूल्य की सावधि जमा के रूप में चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

ईडी ने सीबीआई और दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स यूनिटेक लिमिटेड, रमेश चंद्रा, संजय चंद्रा, प्रीति चंद्रा, अजय चंद्रा और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की। ईडी की जाँच में पता चला है कि यूनिटेक लिमिटेड को घर क्रेताओं और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त कुल 16075.89 करोड़ रुपये में से 7794.35 करोड़ रुपये गैर-अनिवार्य उद्देश्यों में हस्तांतरित (डायवर्ट) किए गए।

ईडी की जाँच से पता चला है कि यूनिटेक लिमिटेड ने घर क्रेताओं और वित्तीय संस्थानों के 25 करोड़ रुपये यूएफएलईएक्स समूह को हस्तांतरित कर दिए। यूनिटेक लिमिटेड ने निर्माण और तकनीकी सेवाओं के नाम पर यूएफएलईएक्स समूह की दोनों कंपनियों, यूएफएलईएक्स लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये और अंशिका इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को 5 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया। यद्यपि, फोरेंसिक ऑडिट और बाद की जाँच से धन के वास्तविक उपयोग में हुए विसंगतियों और अनियमितताओं का खुलासा हुआ। ईडी की जाँच से यूनिटेक लिमिटेड द्वारा यूएफएलईएक्स समूह की कंपनियों को किए गए 25 करोड़ रुपये के स्पष्ट हस्तांतरण का खुलासा हुआ।

अब तक, ईडी ने 22 अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए हैं, जिनमें कुल 1292 घरेलू/विदेशी चल/अचल संपत्तियाँ, जिनका कुल मूल्य 1646.95 करोड़ रुपये है, कुर्क की गई हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में कार्नौस्टी समूह, शिवालिक समूह, त्रिकार समूह, यूएफएलईएक्स समूह और चंद्रा परिवार की फर्जी, बेनामी और निजी कंपनियों की संपत्तियाँ शामिल हैं। ईडी ने इस मामले में एक मुख्य अभियोजन शिकायत और दो पूरक अभियोजन शिकायतें भी दर्ज की हैं।

आगे की जाँच जारी है।